प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 16.09.2026

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा 04 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किये गये कटे हुये इलेक्ट्रिक तार करीब 14.9 कि.ग्रा, 05 एसी कापर के पाइप कटे/मुडे हुये व घटना में प्रयुक्त एक सब्बल लोहा, छैनी लोहा, प्लास, हथैडा,आरी का पत्ता बरामद ।

दिनांक 15.09.2026 को थाना इन्दिरापुरम पर वादी श्री शंन्तनु त्यागी पुत्र श्री महादेव त्यागी निवासी शक्तिखंड थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद द्वारा तहरीर दी गयी कि अज्ञात चोर द्वारा बिजली की वायरिंग काट कर चोरी कर ले जाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना इन्दिरापुरम पर सुसंगत धारा में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण/बरामदगी हेतु पुलिस टीम गठित की गयी।

तत्पश्चात थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए उपरोक्त घटना कारित करने वाले 04 शातिर चोर अभियुक्तों 1.साहिल पुत्र नईम निवासी-किरायेदार कनावनी थाना इन्दिरापुरम मूल पता नई बस्ती कमालगंज थाना कमालगंज जिला फरुख्खाबाद उम्र करीब 22 वर्ष 2. सोहिल पुत्र साविर खान निवासी मकनपुर थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद मूल पता सियाना कैद वाला मौहल्ला थाना सियाना बुलंदशहर उम्र करीब 20 वर्ष 3. शिवम चौहान पुत्र विजय चौहान निवासी मकनपुर थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद मूल पता ग्राम फतेहपुर थाना पाकवाडा मुरादाबाद उम्र करीब 23 वर्ष 4. समसाद पुत्र समशेर निवासी मकनपुर थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष को को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से चोरी किये गये कटे हुये इलेक्ट्रिक तार करीब 14.9 कि.ग्रा, 05 एसी कापर के पाइप कटे/मुडे हुये व घटना में प्रयुक्त एक सब्बल लोहा, छैनी लोहा, प्लास, हथैडा,आरी का पत्ता बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि हम लोग खर्चे के लिए रात्रि में बिजली के वायर काटकर चोरी करके उन्हे बेच देते हैं तथा जिन मकान, दुकान में स्पिलिट ए. सी लगे होते हैं, जिनमें कोपर का पाईप वाहर की ओर लगा होता है उस पाईप को हम लोग काटकर सस्ते दामों में

बेचकर अपने शौक पूरे करते हैं। हम लोगो ने 14/15.09.2026 को रात्रि करीब 01 से 02 बजे के बीच शक्ति खण्ड-1 से निमार्णाधीन एक मकान में से बिजली के तार चोरी किये थे यह वही तार है तथा हमने से जो सामान मिला है वह चोरी का ही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

1.साहिल पुत्र नईम निवासी-किरायेदार कनावनी थाना इन्दिरापुरम मूल पता नई बस्ती कमालगंज थाना कमालगंज जिला फरुख्खाबाद उम्र करीब 22 वर्ष।

2. सोहिल पुत्र साविर खान निवासी मकनपुर थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद मूल पता सियाना कैद वाला मौहल्ला थाना सियाना बुलंदशहर उम्र करीब 20 वर्ष।

3. शिवम चौहान पुत्र विजय चौहान निवासी मकनपुर थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद मूल पता ग्राम फतेहपुर थाना पाकवाडा मुरादाबाद उम्र करीब 23 वर्ष।

4. समसाद पुत्र समशेर निवासी मकनपुर थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष

बरामदगी का बिवरण-

कब्जे से चोरी किये गये कटे हुये इलेक्ट्रिक तार करीब 14.9 कि.ग्रा, 05 एसी कापर के पाइप कटे/मुडे हुये व घटना में प्रयुक्त एक सब्बल लोहा, छैनी लोहा, प्लास, हथैडा,आरी का पत्ता बरामद।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त साहिल उपरोक्त के विरुद्ध थाना इन्दिरापुरम पर चोरी/बरामदगी के 04 अभियोग, अभियुक्त सोहिल उपरोक्त के विरुद्ध थाना इन्दिरापुरम पर चोरी/बरामदगी के 02 अभियोग अभियुक्त शिवम चौहान उपरोक्त के विरुद्ध थाना इन्दिरापुरम पर आर्म्स एक्ट/चोरी/बरामदगी के 03 अभियोग तथा अभियुक्त समशाद उपरोक्त के विरुद्ध थाना इन्दिरापुरम पर चोरी/बरामदगी के 02 अभियोग पंजीकृत हैं। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम।

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा दहेज हत्या के अभियोग में वांछित अभियुक्तगण गिरफ्तार।

दिनांक 14.09.2026 को वादी श्री नेपाल सिंह द्वारा थाना कौशाम्बी पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्तगण 1.रवि कुमार 2. कुमरपाल व अभियुक्ता 3. अनीता द्वारा वादी की भतीजी कोमल को दहेज के लिए प्रताडित करना और दहेज न देने पर उसकी फांसी लगाकर हत्या कर देना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कौशाम्बी पर तत्काल धारा 85, 80(2) बीएनएस व ¾

दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना सहायक पुलिस आयुक्त इन्दिरापुरम द्वारा सम्पादित की जा रही है। विवेचना के क्रम में साक्ष्य संकलन के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 91 बीएनएस की वृद्धि की गयी तथा धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम को धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में परिवर्तित किया गया ।

आज दिनांक 16.08.2026 को थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर उपरोक्त अभियोग में नामजद अभियुक्तगण 1. कुंवरपाल उर्फ कुमरपाल (ससुर) पुत्र स्व0 नोनीहाल सिंह उम्र करीब 58 वर्ष 2.रविन्द्र सिंह उर्फ रवि कुमार (पति) पुत्र कुंवरपाल उम्र करीब 28 वर्ष व अभियुक्ता 3. अनीता (सास) पत्नी कुंवर पाल उम्र करीब 55 वर्ष निवासीगण डी-75, कामना सोसायटी सेक्टर- 02 वैशाली थाना कौशाम्बी गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभि0गण रवि कुमार उर्फ रविन्द्र उपरोक्त व कुंवरपाल उर्फ कुमरपाल तथा अभियुक्ता अनीता उपरोक्त से पूछताछ पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि रवि कुमार उर्फ रविन्द्र उपरोक्त की शादी वर्ष 2025 में मृतिका कोमल से हुई थी शादी के बाद से ही परिवार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। आये दिन लडाई –झगडा होता रहता था। जिससे आहत होकर मृतिका कोमल द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अभि0गण को पता चला कि कोमल के मायके वालों द्वारा उनके विरुद्ध थाना कौशाम्बी पर मुकदमा लिखा दिया है तो वे सभी छिपने के लिए अपनी रिश्तेदारी में जा रहे थे। जिनको यूपीगेट के पास से हिरासत पुलिस में लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. कुंवरपाल उर्फ कुमरपाल (ससुर) पुत्र स्व0 नोनीहाल सिंह उम्र करीब 58 वर्ष
2.रविन्द्र सिंह उर्फ रवि कुमार (पति) पुत्र कुंवरपाल उम्र करीब 28 वर्ष
3. अनीता (सास) पत्नी कुंवर पाल उम्र करीब 55 वर्ष निवासीगण डी-75, कामना सोसायटी सेक्टर- 02 वैशाली थाना कौशाम्बी गाजियाबाद

गिरफ्तार अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध थाना कौशाम्बी पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम।

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा वाहन चोरी की घटना कारित करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे/निशांदेही से चोरी की 03 मोटरसाइकिल व चोरी करने का उपकरण बरामद।

दिनांक 02.10.2025 को वादी श्री मोनू पुत्र आश मौहम्मद निवासी शहीदनगर चिकम्बरपुर थाना साहिबाबाद द्वारा तहरीर दी गयी कि वादी की मोटरसाइकिल अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर ले जाना। तथा दिनांक 23.08.2026 को वादी श्री अभिषेक सत्यम यादव पुत्र शेर बहादुर यादव निवासी नवीन पार्क साहिबाबाद द्वारा तहरीर दी गयी कि वादी की मोटरसाइकिल जो घऱ के नीचे खडी थी, किसी अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर ले जाना। प्राप्त तहरीरों के आधार पर थाना साहिबाबाद पर तत्काल पृथक-पृथक अभियोग पंजीकृत किये गये तथा घटनाओं के अनावरण हेतु तत्समय थाना साहिबाबाद पर पुलिस टीम का गठन किया गया था।

कार्यवाही का विवरण- दिनांक 15/16.09.2026 की रात्रि को थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा दौराने चैंकिग/संदिग्ध व्यक्ति वाहन मुखबिर की सूचना के आधार पर वाहन चोरी की घटना कारित करने वाले 03 अभियुक्तों 1. मोमीन पुत्र मोहम्मद साबिर निवासी ए-36 शहीद नगर थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र करीब 27 वर्ष 2.जुनैद पुत्र वली मोहम्मद निवासी डी-187 गली नं.1 शहीद नगर थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र करीब 27 वर्ष 3. नईम उर्फ चीरा उर्फ कालिया पुत्र अजीज मलिक निवासी डी-80 गली नं.1 शहीद नगर थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र करीब 33 वर्ष को चौकी क्षेत्र शहीदनगर से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे/निशांदेही से चोरी की 03 मोटरसाइकिल व चोरी करने का उपकरण 01 पेचकसनुमा T शेप में लोहे की पत्ती बरामद हुये। उक्त बरामदगी के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध अन्य वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण- पूछताछ पर अभियुक्तों ने पेचकसनुमा T शेप में लोहे की पत्ती को दिखाते हुए बताया कि यह हमारी मास्टर चाबी है इसी से हम मोटरसाइकिल का लॉक आसानी से खोल लेते हैं। यह बजाज प्लेटिना मोटरसाइकिल हमने पिछले माह नवीन पार्क से चोरी की थी। हम तीनों दिल्ली गाजियाबाद में वाहन चोरी की घटना कारित करते हैं। जो हमारी निशादेही पर मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं इनमें से एक मोटरसाइकिल हमने 20-25 दिन पहले संगम विहार दिल्ली से चोरी की थी तथा दूसरी बरामद मोटरसाइकिल स्प्लेण्डर प्लस को जुनैद व मोमीन ने पिछले साल कल्लन चौक से चोरी किया था।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता :-

1. मोमीन पुत्र मोहम्मद साबिर निवासी ए-36 शहीद नगर थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र करीब 27 वर्ष
2. जुनैद पुत्र वली मोहम्मद निवासी डी-187 गली नं.1 शहीद नगर थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र करीब 27 वर्ष

3. नईम उर्फ चीरा उर्फ कालिया पुत्र अजीज मलिक निवासी डी-80 गली नं.1 शहीद नगर थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र करीब 33 वर्ष

अभियुक्त नईम का आपराधिक इतिहासः-

अभियुक्त नईम उपरोक्त के विरूद्ध थाना साहिबाबाद पर 02 अभियोग वाहन चोरी के, 01 अभियोग लूट का, 01 अभियोग छिनैती का, 01 अभियोग वाहन चोरी बरामदगी का, थाना टीलामोड पर 01 मुकदमा एनडीपीएस एक्ट का, 01 मुकदमा वाहन चोरी बरामदगी का, थाना शालीमार गार्डन पर 03 मुकदमे छिनैती के, 01 मुकदमा पुलिस मुठभेड व दिल्ली राज्य में 01 मुकदमा चोरी का **कुल 12 अभियोग** पंजीकृत हैं।

अभियुक्त मोमीन का आपराधिक इतिहासः-

अभियुक्त मोमीन उपरोक्त के विरूद्ध थाना साहिबाबाद पर 03 मुकदमे वाहन चोरी के, 01 अभियोग लूट का प्रयास का, 01 अभियोग वाहन चोरी बरामदगी का, **कुल 05 अभियोग** पंजीकृत है।

अभियुक्त जुनैद का आपराधिक इतिहासः-

अभियुक्त जुनैद उपरोक्त के विरूद्ध थाना साहिबाबाद पर 03 मुकदमे वाहन चोरी, , 01 मुकदमा वाहन चोरी बरामदगी **कुल 04 अभियोग** पंजीकृत है।

- अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण-

कब्जे/निशांदेही से चोरी की 03 मोटरसाइकिल व चोरी करने का उपकरण बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

थाना साहिबाबाद कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस टीम।

स्वाट/सर्विलांस टीम ट्रांस हिण्डन जोन व थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा फर्जी तरीके से सप्लीमेंट, एलोपैथिक औषधियां तैयार कर धोखाधडी से अवैध बिक्री करने वाले 05 अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से फर्जी तरीके से बनाये गये नकली सप्लीमेंट व एलोपैथिक औषधियां (अनुमानित कीमत करीब 50 लाख रूपये) बरामद।

दिनांक 15.09.2026 को स्वाट/सर्विलांस टीम ट्रांस हिण्डन जोन व थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर फर्जी तरीके से सप्लीमेंट, एलोपैथिक औषधियां तैयार कर धोखाधडी से अवैध बिक्री करने वाले 05 अभियुक्तों 1. दिलीप पाण्डेय पुत्र स्व0 भरत पाण्डेय निवासी ओल्ड सीमापुरी दिल्ली उम्र करीब 39 वर्ष 2. वीरभान उर्फ रवि पुत्र सत्यपाल सिंह निवासी ओल्ड सीमापुरी दिल्ली उम्र करीब 34 वर्ष 3. रोहित वक्शी उर्फ लड्डू पुत्र नरेन्द्र वक्शी निवासी जे-86 विजयनगर थाना विजयनगर गाजियाबाद उम्र करीब 35 वर्ष 4. हन्नी कुलश्रेष्ट पुत्र कुलदीप कुलश्रेष्ट निवासी गली न0 12 शिवपुरी थाना विजयनगर गाजियाबाद उम्र करीब 30 वर्ष 5. आर्यन पुत्र सुदेश निवासी सेक्टर 9 थाना विजयनगर गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से फर्जी तरीके से बनाये गये नकली सप्लीमेंट व एलोपैथिक औषधियां **(अनुमानित कीमत**

करीब 50 लाख रूपये) बरामद हुए। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना शालीमार गार्डन पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूँछताछ का विवरणः-

अभियुक्तगण दिलीप पाण्डेय व वीरभान उर्फ रवि द्वारा औषधियां व फूड प्रोडक्ट के कच्चे माल,प्रिन्टिंग लेवलस, प्रिन्टेड मोनो काटनस, खाली प्लास्टिक की शीशियां के क्रय के बारे में पूँछे जाने पर उपरोक्त दोनों द्वारा बताया गया कि यह सभी सामग्री उनको मोहित निवासी दिल्ली व आदिल निवासी दिल्ली द्वारा दिया जाता है, जिसकी वह पैकिंग करके फिनिस्ड प्रोडक्ट के रूप में तैयार कर आगे ललित शर्मा उर्फ लल्ली ,हन्नी , रोहित उर्फ लड्डू, आर्यन जोकि विजयनगर गाजियाबाद में **nutrition world** व **nutrition adda** के नाम से दुकान चलाते हैं, को बिक्रय किया जाता है तथा हम सभी लोग मिलकर संयुक्त रूप से कच्चा माल मंगाकर तथा कई देशों के नाम पते एवं कम्पनी के फर्जी कूटरचित लेवल तैयार करके आम लोगों में विक्रय करते हैं। हम औषधियाँ व फूड प्रोडक्ट के कच्चे माल पर उच्च प्रतिष्ठित कम्पनियों का नाम व मोनोग्राम का इस्तेमाल कर उच्च दामों में बेचकर मोटा मुनाफा कमाते हैं तथा अभियुक्तगण रोहित वक्षी उर्फ लड्डू, हन्नी कुलश्रेष्ट, आर्यन द्वारा पूछताछ में बताया कि हम तीनों यहां विजयनगर गोदाम में कार्य करते हैं यह गोदाम ललित शर्मा पुत्र स्व0 अश्वनी शर्मा निवासी जी-120 सैक्टर 9 न्यू विजयनगर थाना विजयनगर गाजियाबाद का है। गोदाम में जो माल आता है वह सारा माल ललित शर्मा ही खरीदता व बेचता है। हनी द्वारा बताया कि मैं ललित शर्मा के सारे काम को सभांलता हू जिसमें से वह मुझे हिस्सा देता है। रोहित वक्शी द्वारा बताया गया ललित शर्मा मेरा मामा व ललित शर्मा के साथ इस कारोबार में मेरी पार्टनरशिप भी है। आर्यन द्वारा बताया गया कि मैं ललित शर्मा का अकाउण्टेन्ट का काम देखता हू तथा उसके सारे कारोबार में हनी व रोहित के साथ मिलकर काम व गोदाम/दुकान के कार्यों को संभालता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पताः-

1. दिलीप पाण्डेय पुत्र स्व0 भरत पाण्डेय निवासी ओल्ड सीमापुरी दिल्ली उम्र करीब 39 वर्ष
2. वीरभान उर्फ रवि पुत्र सत्यपाल सिंह निवासी ओल्ड सीमापुरी दिल्ली उम्र करीब 34 वर्ष
3. रोहित वक्शी उर्फ लड्डू पुत्र नरेन्द्र वक्शी निवासी जे-86 विजयनगर थाना विजयनगर गाजियाबाद उम्र करीब 35 वर्ष।

4.हन्नी कुलश्रेष्ट पुत्र कुलदीप कुलश्रेष्ट निवासी गली न0 12 शिवपुरी थाना विजयनगर गाजियाबाद उम्र करीब 30 वर्ष।

5.आर्यन पुत्र सुदेश निवासी सेक्टर 9 थाना विजयनगर गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष।

अभियुक्तों का अपराधिक इतिहास

अभियुक्तों के विरुद्ध थाना शालीमार गार्डन पर उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में 01 अभियोग पजीकृत किया गया है। अभियुक्तों के अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः

स्वाट/सर्विलांस टीम ट्रांस हिण्डन जोन व थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद।

<u>बरामदगी का विवरण:-</u> (अनुमानित कीमत करीब 50 लाख रूपये)

समूह 1: दवाइयां, पेप्टाइड्स एवं पैकिंग सामग्री

क्र.सं.	सामग्री का नाम / विवरण	बैच / कोड	मात्रा
1	Clear -1	Bpij236055	07 पीस
2	Clear -1	Bpij236053	43 पीस
3	Clian 60mg	inp-0129	101 पीस
4	Androlic 60mg	inp-0127	145 पीस
5	Dianabol 10mg	inp 0126	124 पीस
6	Peptid Science Highly Purified Peptides	p57705	06 किट
7	लाल रंग की गोलियां (सफेद बिना लेबल की बोतल, स्टेरॉयड होने का संदेह)	—	508 डिब्बी
8	Grinote (Dianabol)	—	11 पीस
9	Testolone RAD	rw00006	39 पीस
10	Danabol	bp345jdb	300 कैप्सूल
11	Pragma	klpa5008	19 इंजेक्शन
12	Dianabol	—	487 बोतल
13	Clian (खाली कार्टन)	—	100 कार्टन
14	Anadrol (खाली कार्टन)	—	384 कार्टन
15	GHRP (खाली कार्टन)	—	192 कार्टन
16	Danadad 15g (खाली कार्टन)	—	642 कार्टन
17	Anagar (खाली कार्टन)	—	96 कार्टन
18	Dianabol 25g (खाली कार्टन)	—	398 कार्टन
19	Anadrol 50g (खाली कार्टन)	—	288 कार्टन
20	होलोग्राम (प्रत्येक में 36 होलोग्राम)	—	64

क्र.सं.	सामग्री का नाम / विवरण	बैच / कोड	मात्रा
21	हल्का पीला घोल (पारदर्शी कांच की शीशी में)	—	13 शीशी (वाइल्स)
22	बिना लेबल की सामग्री	—	01 कॉरुगेटेड बॉक्स
23	बिना लेबल का सफेद सामान	—	47 बॉक्स

समूह 2: डाइट सप्लीमेंट्स एवं गेनर्स

क्र.सं.	सामग्री का नाम / विवरण	कोड / ब्रांड	मात्रा
1	Myodrol (डाइट सप्लीमेंट)	—	04 पैटी (कुल 240 पैकेट)
2	Bulkzilla (डाइट सप्लीमेंट)	—	65 पैकेट
3	GHRP - 6	—	48 पैकेट
4	डेली मल्टीविटामिन	—	07 बोतल
5	डाइट सप्लीमेंट रेड	—	140 बोतल
6	Musclemass Gainer	968889	80 पीस
7	Angry Bulk	968888	02 पीस
8	Bear Bulk	968887	157 पीस
9	Bigger Biceps	—	54 डिब्बा
10	Size Up	—	28 डिब्बा
11	MK 677	—	36 डिब्बा
12	IGF 1	—	65 डिब्बा
13	HGH X2	—	58 डिब्बा
14	Bulk	Stubborn Nutrition	24 डिब्बा
15	Arcade Bulk	Stubborn Nutrition	27 डिब्बा
16	Titan	Stubborn Nutrition	06 डिब्बा

समूह 3: इंजेक्शन एवं अन्य कंपाउंड्स

क्र.सं.	सामग्री का नाम / विवरण	बैच नंबर	मात्रा
1	Test E-250	gb08da1990	04 पीस
2	Tren A-100	gb08da1990	03 पीस
3	Primo 100	gb08da1990	03 पीस
4	Trenbolone 200	gb08da1990	02 पीस
5	Bold (EQ) 300	gb08da1990	02 पीस
6	Winstrol 100	gb08da1990	02 पीस
7	Test P 100	gb08da1990	02 पीस
8	Sustanon 300	gb08da1990	02 पीस
9	Rippex 225	gb08da1990	02 पीस
10	Deca 300	gb08da1990	03 पीस
11	Masteron 100	gb08da1990	03 पीस

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा नशीले पाउडर की तस्करी करने वाली अभियुक्ता गिरफ्तार, कब्जे से कुल 126 ग्राम अवैध नशीला पाउडर एल्प्राजोलम बरामद ।

आज दिनांक 16.09.2026 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा **ऑपरेशन प्रहार** के तहत अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाली अभियुक्ता शबनम पत्नी बबलू त्रिपाठी निवासी म0नं0 954 लाल क्वार्टर सुदामापुरी थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद हाल पता- बबलू त्रिपाठी का मकान नं0 ई-24 गली नं 12 दयालपुर दिल्ली उम्र 34 वर्ष को बी आर इन्टरनैशनल स्कूल के पास थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 126 ग्राम अवैध नशीला पाउडर (एल्प्राजोलम) बरामद हुआ । उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर तत्काल धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया । अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण-

मुख्य अभियुक्ता शबनम ने पूछताछ करने पर जुर्म को स्वीकार करते हुए बताया कि मैं लाल क्वाटर सुदामापुरी मे रहती हूं तथा दिल्ली से भारी मात्रा मे नशीला पाउडर (एल्प्राजोलम) सस्ते दामो पर लेकर आती हूँ। फिर नशीले पाउडर की छोटी छोटी पुडिया बनाकर लाल क्वाटर्स के आस पास रहने वाले मादक पदार्थ का सेवन करने वाले लोगो को बेचकर अच्छा मुनाफा कमा लेती हूं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

शबनम पत्नी बबलू त्रिपाठी निवासी म0नं0 954 लाल क्वार्टर सुदामापुरी थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद हाल पता-बबलू त्रिपाठी का मकान नं0 ई-24 गली नं 12 दयालपुर दिल्ली उम्र 34 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण –

126 ग्राम अवैध नशीला पाउडर (एल्प्राजोलम) बरामद ।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग –

अभियुक्ता के विरुद्ध थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में एनडीपीएस एक्ट का 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा अभियुक्ता शबनम उपरोक्त के विरुद्ध थाना विजयनगर पर NDPS ACT से सम्बन्धित 02 अभियोग व आबकारी अधि0 से सम्बन्धित 02 अभियोग व थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर NDPS ACT से सम्बन्धित 05 अभियोग कुल 10 अभियोग पंजीकृत होना पाया गया है तथा यह थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक की HS है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम।

थाना कविनगर पुलिस टीम द्वारा हत्या का प्रयास करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

घटना का विवरण:- दिनांक 04.06.2026 वादी रामब्रेस यादव पुत्र साहब सिह यादव निवासी म0नं0 18 अच्छेजा थाना बादलपुर गौतमबुद्ध नगर द्वारा अभियुक्तगण द्वारा वादी के बेटे देवेन्द्र के साथ मारपीट करना , तथा जान से मारने की नीयत से महेन्द्रा गाडी पीकप से कई बार वादी के बेटे को टक्कर मारना जिससे वादी के बेटे को गंभीर चोट आने के सम्बन्ध में थाना कविनगर पर तहरीर दी। उक्त घटना को संज्ञान में लेते हुए तत्काल थाना कविनगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही का विवरण:- घटना के अनावरण हेतु टीम गठित की गयी। घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों व लोकल इनपुट की मदद से मुखबिर की सूचना के आधार पर थाना कविनगर पुलिस टींम द्वारा दिनांक 16.09.2026 को आशुतोष कुमार रंगवा पुत्र हरेन्द्र रंगवा नि0 ग्राम रानीघाट पोस्ट फुलवारिया लच्छी थाना कोतवाली जिला देवरिया हाल नि0 राम सिंह ट्रांसपोर्ट कंपनी ई 75 लोहामंडी थाना कविनगर गाजियाबाद उम्र 27 वर्ष को विवेकानंद नगर पुल के पास चौकी क्षेत्र लोहामण्डी से गिरफ्तार किया गया। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्त आशुतोष ने पूछताछ में बताया कि दिनांक 01.06.2026 मै अपने दोस्तों के साथ शराब पी रहा था। मेरे दोस्त व आवेदक के बेटे देवेन्द्र उर्फ देवा के साथ पहले से रंजीश थी। काफी शराब पीने के बाद मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर देवेन्द्र उर्फ देवा को गाडी से दो बार टक्कर मारी थी।

अभियुक्तगण का नाम पता-

1. आशुतोष कुमार रंगवा पुत्र हरेन्द्र रंगवा नि0 ग्राम रानीघाट पोस्ट फुलवारिया लच्छी थाना कोतवाली जिला देवरिया हाल नि0 राम सिंह ट्रांसपोर्ट कंपनी ई 75 लोहामंडी थाना कविनगर गाजियाबाद उम्र 27 वर्ष

गिरफ्तार करने वाले टीम:-

पुलिस टीम थाना कविनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा समस्त थानों पर 'वादी संवाद दिवस' आयोजित किया गया।

श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय कमिश्नरेट गाजियाबाद के निर्देशन में जनता को त्वरित, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण न्याय दिलाने के उद्देश्य से कमिश्नरेट गाजियाबाद में **वादी संवाद नीति** लागू की गई है, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक बुधवार को सभी थानों पर **वादी संवाद दिवस** आयोजित किया जाता है। जिसके क्रम में आज दिनांक **16.09.2026** दिन **बुधवार** को कमिश्नरेट गाजियाबाद के समस्त थानों पर पूर्व की तरह **वादी संवाद दिवस** आयोजित किया गया।

वादी संवाद दिवस का उद्देश्य वादियों और पुलिस के बीच सार्थक संवाद स्थापित कर पारदर्शिता, विश्वास एवं शीघ्र न्याय की प्रक्रिया को और अधिक सुदृढ़ करना है। जिसके क्रम में विवेचनाधीन अभियोगों (एफ0आई0आर0/एन0सी0आर0) तथा गुमशुदगी से सम्बन्धित वादी को थाने पर आमंत्रित कर सम्बन्धित विवेचकों के साथ संवाद स्थापित करते हुए विवेचना की वर्तमान स्थिति एवं प्रगति से अवगत कराते हुए वादियों के सभी प्रश्नों का उचित, तथ्यात्मक एवं संतोषजनक उत्तर देते हुए संतुष्ट किया गया।

आज दिनांक 16.09.2026 को आयोजित किये गए वादी संवाद दिवस का जोन वार विवरण निम्न प्रकार है-

क्र.सं.	जोन	संवाद हेतु थानों पर उपस्थित आये वादियों की संख्या
1.	नगर	74
2.	ट्रांस हिण्डन	82
3.	ग्रामीण	49
कुल कमिश्नरेट गाजियाबाद		**205**

श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशन में **वादी संवाद दिवस** गाजियाबाद पुलिस की एक जन सरोकार आधारित पहल है इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक वादी को अपने प्रकरण की सही जानकारी समय पर मिले एवं उन्हें न्याय की प्रक्रिया पर विश्वास और संतोष प्राप्त हो। यह नई पहल पुलिस व जनता के बीच आपसी सहयोग एवं विश्वास को और अधिक

मजबूत करेगी। कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा जनकेन्द्रित पुलिसिंग के दृष्टिगत भविष्य में भी इसी प्रकार के नवाचार जारी रहेंगे।